कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

//ई–निविदा विज्ञप्ति//

क.3741 /ग्रांथ/26 कटनी, दिनांकः– 02/11/26

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी हेतु **JK COPIER *White Paper A4 75gsm, 2000* रिम** कय किये जाने हेतु ई–निविदा, *mptenders.gov.in* पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत विक्रेताओं एवं प्रदायकर्ताओं से तकनीकी एवं वित्तीय अल्पकालिक ई–निविदा दिनांक 25.11.2026 तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी व शर्तें *mptenders.gov.in* पोर्टल एवं जिला न्यायालय कटनी की वेबसाईट khttps://katni.dcourts.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। उक्त निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर सूचना जिला न्यायालय कटनी की वेबसाईट एवं सूचना पटल से प्राप्त की जा सकती हैं।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)

कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी (म0प्र0)

—:: निविदा की शर्तें ::—

क्रमांक 2740 /2026, कटनी, दिनांक 02/11/26.

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी में 2000 रिम **JK COPIER A-4, 75Gsm White Paper** क्रय किये जाने के संबंध में ई—टेण्डरिंग प्रणाली से निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संस्थान निविदा प्रकाशन/अपलोड होने के 21 दिवसों के भीतर दी गई शर्तों/नियमों के अधीन **केवल ई—पोर्टेल http://mptender.gov.in के माध्यम से** निविदा प्रस्तुत करेंगे।

ई—टेण्डरिंग प्रणाली से पेपर क्रय किए जाने हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने के लिए नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है :—

01. सामग्री की दरें जी.एस.टी. सहित सुस्पष्ट अक्षरों में प्रस्तुत करें।

02. निविदा दस्तावेजों के साथ संस्था का GST Registration Certificate, निविदाकर्ता का पेनकार्ड, आधारकार्ड, दुकान स्थापना (केवल कटनी एवं जबलपुर नगरीय क्षेत्र) का जीवित पंजीयन एवं नगर निगम कटनी एवं जबलपुर की चालू अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

03. संस्था द्वारा प्रदाय किये जाने वाली सामग्री (White Paper) का सेंपल/नमूना संबंधित कार्यालय में निविदा की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर उनका चयन किया जा सके। संबंधित निविदाकर्ता के द्वारा वांछित नमूना प्रस्तुत नहीं किए जाने की दशा में उनकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।

04. प्रत्येक निविदाकर्ता को निविदा की प्रतिभूति (EMD-Earnest Money Deposits) के रूप में राशि रूपये 16,500/— (सोलह हजार पांच सौ रूपये) MP Tender पोर्टल पर ऑनलाईन जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

05. निविदाकर्ता का संस्थान मध्यप्रदेश में पंजीकृत होना आवश्यक है।

06. इच्छुक निविदाकर्ता पोर्टल पर निविदा के प्रकाशन (अपलोड) तिथि से 21 दिवस के भीतर अपनी निविदाएं एम.पी. टेण्डर के पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

07. निविदा मान्य किए जाने पर निष्पादन प्रतिभूति/सुरक्षा निधि के रूप में रूपए 16,500/—रू का बैंक ड्राफ्ट "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी" के नाम से जमा करना होगा।

8. अनुमोदित निविदाकर्ता को कार्यालय द्वारा जारी क्रय आदेश प्राप्त होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर स्वयं के व्यय पर निविदा में उल्लेखित कंपनी/अनुमोदित गुणवत्ता अनुसार सामग्री प्रदान करना होगा। विहित समयावधि में नमूना अनुरूप सामग्री प्रदान नहीं किए जाने की दशा में प्रतिभूति की राशि राजसात की जा सकेगी।

9. सफल निविदाकार, निविदा सामग्री की आपूर्ति हेतु कोई सब–कॉन्ट्रेक्टर नियुक्त नहीं करेगा।

10. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने या अमान्य करने एवं सामग्री की संख्या कम करने का पूर्ण अधिकार "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी" को होगा, जो सभी निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।

11. प्रदाय की गई सामग्री कम्पनी पैक न होने पर अथवा प्रस्तुत नमूना की अपेक्षा गुणवत्ता निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सामग्री निविदाकार को स्वयं के व्यय पर वापस उठाना होगा तथा चाही गई कम्पनी के अनुसार सामग्री अतिशीघ्र प्रदाय करनी होगी।

12. निविदाकर्ता उनके द्वारा दी गई निविदा अनुसार सामग्री स्वीकृत दर पर वांछित मात्रा में निर्धारित तिथि तक प्रदाय करने हेतु बाध्य होगा।

गोपेश शर्मा	नीरज कुमार शर्मा	संजयपाल सिंह बुंदेला
अष्ठम जिला न्यायाधीश	तृतीय जिला न्यायाधीश	चतुर्थ जिला न्यायाधीश
सदस्य क्रय समिति	सदस्य क्रय समिति	**अध्यक्ष क्रय समिति**
विजय कुमार शर्मा		जयप्रताप चिडार
प्रशासनिक अधिकारी		मुख्य न्यायिक मजिट्रेट कटनी
सदस्य क्रय समिति		सदस्य क्रय समिति

Principal District and Session's Judge
KATNI (M.P.)